

प्रेषक,

शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी,

अनु सचिव,

उओप्रओ शासन।

सेवा में,

राहत आयुक्त,

उओप्रओ, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 28 मई, 2025

विषय: यूओएनओडीओपीओ के आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम को राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से वित्तपोषित किये जाने हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके संओ-8091/राओआओकाओ/ओओएसओडीओ/2024-25, दिनांक 26.03.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम के सम्बन्ध में यूओएनओडीओपीओ की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) उपलब्ध कराते हुए प्रमुख आपदा प्रबंधन हस्तक्षेपों को लागू करने में सहायता प्राप्त करने के लिए यूओएनओडीओपीओ के आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम को राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से वित्तपोषित किये जाने हेतु रू० 19.99 करोड़ की धनराशि राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से दिए जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अप्रेजल समिति की बैठक दिनांक 28.03.2025 में प्राप्त संस्तुति के क्रम में राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 22-05-2025 में प्राप्त अनुमोदन के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रमुख आपदा प्रबंधन हस्तक्षेपों को लागू करने में सहायता प्राप्त करने के लिए राहत आयुक्त के पत्र दिनांक 26-03-2025 में उल्लिखित विवरणानुसार यूओएनओडीओपीओ के आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम को राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से वित्तपोषित किये जाने हेतु राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से धनराशि रू० 19.99 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राहत आयुक्त, उओप्रओ, लखनऊ के निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

नियम व शर्तें/प्रतिबंध-

- (1) प्रश्नगत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम के सम्बन्ध में समझौता ज्ञापन (एमओओयूओ) हस्ताक्षरित किये जाने के दौरान समस्त आवश्यक विन्दुओं (प्रशासकीय एवं वित्तीय) को समझौता ज्ञापन (एमओओयूओ) में समाहित किया जायेगा।
- (2) प्रश्नगत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम परियोजना के अन्तर्गत यूओएनओडीओपीओ की तकनीकी सहायता लिए जाने हेतु राहत आयुक्त के प्रस्तावानुसार सेवाओं एवं अन्य कार्यक्रमों हेतु वित्तीय नियमों का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए परियोजना का सञ्चालन किया जायेगा।
- (3) राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि की उक्त धनराशि का उपयोग भारत सरकार के पत्र संख्या-33-02/2020-NDMA दिनांक 14.01.2022 द्वारा निर्गत गाइडलाइन के अनुसार किया जायेगा। राहत आयुक्त, उओप्रओ, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गाइडलाइन के किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन न होने पाये।
- (4) राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा एवं धनराशि के ऑडिट का दायित्व राहत आयुक्त, उओप्रओ, लखनऊ का होगा।
- (5) जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा, किसी अन्य मद में धनराशि का डायवर्जन नहीं किया जायेगा।

(6) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2026 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2026 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(7) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(9) राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के सवध में समय-समय पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं एनडीएमए द्वारा जो भी दिशा-निर्देश/गाइडलाइन निर्गत किये गये हैं अथवा किये जायेंगे के अनुसार उक्त धनराशि का उपभोग की कार्यवाही समयवद्धरूप से सुनिश्चित की जायेगी।

3- इस सम्वन्ध में होने वाला व्यय रू0 19.99 करोड़ को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 4250-101-05-24 वृहद निर्माण कार्य मद में स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/वी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by
SHAIENDRA MANI TRIPATHI
Date: 28-05-2025 16:29:15

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनु सचिव।

संख्या:-333(1)/एक-10-2025, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उओप्र0, प्रयागराज।
- 2- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उओप्र0 राज्य आपदा प्रवन्धन प्राधिकरण, लखनऊ।
- 3- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, वजट आवंटन (ई-वजट), राजस्व विभाग, उओप्र0 शासन।
- 4- वरिष्ठ, वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, उओप्र0।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026
आवंटन दिनांक-03/06/2025

प्रेषण संख्या:- 333
आवंटन आदेश संख्या:- 001-333

अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - प्राकृतिक आपदाएं

05 - स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-4180-वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी- राहत आयुक्त सं०, लखनऊ-01--	वर्तमान प्रगामी	199900000 199900000	199900000 199900000
	योग	वर्तमान प्रगामी	199900000 199900000	199900000 199900000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया उनीस करोड़ निन्यानवे लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया उनीस करोड़ निन्यानवे लाख


(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उत्तर प्रदेश।